क्रम-संख्या–119(क–2)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०
डब्लू० / एन०पी०–91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

fo/kk;h ifjf'k"V

Hkkx–1] [k.M ¼d½

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

y[kuÅ] c`gLifrokj] 29 flrEcj] 2022

vkf'ou 7] 1944 'kd lEor

उत्तर प्रदेश शासन

fo/kk;h vuHkkx&1

————————

संख्या 495 / 79-वि-1–2022-1-क-8-2022

लखनऊ, 29 सितम्बर, 2022

————————

अधिसूचना

fofo/k

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के अधीन श्री राज्यपाल ने सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) नियमावली, 1985-नियम 12 (संशोधन और विधिमान्यकरण) विधेयक, 2022 जिससे वित्त (सामान्य) अनुभाग 2 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, पर दिनांक 29 सितम्बर, 2022 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9 सन् 2022 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) नियमावली, 1985–नियम 12
(संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2022

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9 सन् 2022)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) नियमावली, 1985 के नियम 12 का संशोधन करने और तद्धीन या तद्सम्बन्ध में कृत कतिपय कार्यवाहियों का विधिमान्यकरण करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) नियमावली, 1985–नियम 12 (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2022 कहा जायेगा।

(2) यह दिनांक 4 अगस्त, 2022 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) नियमावली, 1985 के नियम 12 का संशोधन

2–समय–समय पर यथा संशोधित सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) नियमावली, 1985 (जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है) का नियम 12 निकाल दिया जायेगा और उसे दिनांक 1 अप्रैल, 1986 से निकाला गया समझा जायेगा।

विधिमान्यकरण

3–किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुए भी सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) नियमावली, 1985–नियम 12 (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2022 के प्रारम्भ होने के पूर्व शासनादेश संख्या सा–4–जी0आई0–28/दस–86–59–81, दिनांक 5 जुलाई, 1986 के पैरा–2 के प्रथम वाक्य के उपबन्ध के अधीन या उसके निबन्धनों के अनुसार उक्त नियम के सम्बन्ध में कृत या की गयी तात्पर्यित कोई बात और कृत या की गयी तात्पर्यित कोई कार्यवाही, सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) नियमावली, 1985–नियम 12 (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2022 द्वारा यथा संशोधित सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) नियमावली, 1985 के उक्त नियम 12 के अधीन या तत्सम्बन्ध में किये जाने हेतु और सदैव से कृत या की गयी समझी जायेगी और वह उतनी ही विधिमान्य होगी तथा सदैव विधिमान्यकृत समझी जायेगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध दिनांक 1 अप्रैल, 1986 से समस्त सारवान समयों पर प्रवृत्त थे।

निरसन और व्यावृत्ति

4–(1) सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) नियमावली, 1985–नियम 12 (संशोधन और विधिमान्यकरण) अध्यादेश, 2022 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 6 सन् 2022

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) नियमावली, 1985 के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित पूर्वोक्त नियमावली के सह प्रत्यर्थी उपबन्धों के अधीन कृत या की गयी समझी जायेगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

———

उद्देश्य और कारण

सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) नियमावली, 1985 के नियम 12 में यह उपबंध है कि यदि कोई अभिदाता पूर्ववर्ती तीन वर्षों के दौरान पूर्वोक्तh नियमावली के नियम 13 के अधीन निधि में अपने नाम जमा धनराशि से कोई धनराशि अग्रिम के रूप में प्रत्यादहृत (विथड्रॉ) नहीं करता है अथवा नियम 16 के अधीन कोई धनराशि प्रत्याहृत(विथड्रॉ) नहीं करता है तो वह वर्ष के अन्तिम दिनांक को अपने नाम जमा सम्पूर्ण अतिशेष (बैलेंस) पर एक प्रतिशत की दर से बोनस का हकदार होगा। नियम 12 के अधीन इस प्रोत्सामहन बोनस के उपबन्धए को दिनांक 01 अप्रैल , 1986 से शासनादेश संख्या सा-4-जी0आई0-28/दस-86-59-81 , दिनांक 5 जुलाई , 1986 द्वारा समाप्त कर दिया गया। तत्समय सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) नियमावली, 1985 में आवश्यिक संशोधन किया जाना भी अपेक्षित था किन्तुि ऐसा नहीं किया जा सका।

उपर्युक्तथ कोदृष्टिगत रखते हुए सामान्य भविष्य- निधि (उत्त8र प्रदेश) नियमावली, 1985 के नियम 12 में संशोधन करने का विनिश्चुय किया गया।

चूंकि राज्य विधान मंडल सत्र में नहीं था और पूर्वोक्ता विनिश्चिय को क्रियान्वित करने के लिये तुरंत विधायी कार्यवाही की जानी आवश्यीक थी , अत: राज्य पाल द्वारा दिनांक 4 अगस्ता, 2022

को सामान्य भविष्य निधि (उत्तर प्रदेश) नियमावली, 1985–नियम 12 (संशोधन और विधिमान्यमकरण) अध्यामदेश, 2022 (उत्त)र प्रदेश अध्या‍िदेश संख्या 6 सन् 2022) प्रख्याअपित किया गया।

यह विधेयक पूर्वोक्ति अध्या'देश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुर: स्था पित किया जाता है।

आज्ञा से,
अतुल श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव।

———